राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत बाघाना
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत बाघाना

प्रकरण सं. – 22/2009 प्रा.प्र.

निर्णय दिनांक – 22 जून, 2015

1. श्री कैलाशचन्द पुत्र बन्नेचन्द जाति कलाल निवासी पीपलौनगर तहसील भीम

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री चुना पिता मोती जाति ढोली निवासी चौडा का बाडिया चेता बाघाना तहसील भीम
2. श्री वजा पिता वरदा जाति ढोली निवासी चौडा का बाडिया चेता बाघाना तहसील भीम
3. श्री सोहन पिता घीसा जाति ढोली निवासी चौडा का बाडिया चेता बाघाना तहसील भीम
4. श्री भवरलाल पिता रंगलाल जाति ढोली निवासी चौडा का बाडिया चेता बाघाना तहसील भीम
5. श्री किशनलाल पिताल महेन्द्र जाति ढोली निवासी चौडा का बाडिया चेता बाघाना तहसील भीम
6. श्री केलाश पिता महेन्द्र जाति ढोली निवासी चौडा का बाडिया चेता बाघाना तहसील भीम
7. श्री मोहननाथ पिता भैरूनाथ जाति नाथ निवासी चौडा का बाडिया चेता बाघाना तहसील भीम
8. श्री नाथू पिता छोगा जी माली निवासी चेता बाघाना तहसील भीम
9. श्री राजुसिंह पिता कुम्पसिह निवासी चेता बाघानो तहसील भीम

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट
वास्ते कराये जाने पक्की पत्थरगढी

यह कि ग्राम चेता पटवार हल्का बाघाना तहसील भीम में मुझ प्रार्थी का कब्जा स्वामित्व व आधिपत्य से चला आ रहा है राजस्व रिकार्ड मे भी जमीन मेरे नाम पर ही चली आ रही है।

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा			किस्म
		बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
36/12	839	00	06	00	गैमु चाह
	843	01	11	10	बंझड
	844	00	02	10	बारानी 1
	845	00	05	10	बारानी 2
	846	01	04	00	बारानी 2
	847	01	10	00	बारानी 2
	850	05	04	00	चाही 2
कुल किता 07 रकबा 13 बीघा 03 विस्वा 05 विस्वांसी					

उक्त भूमि के पडौस निम्न प्रकार है:–

पूर्व में:–आबादी भूमि

पश्चिम में :–विपक्षी संख्या 1 की जमीन

उत्तर में:– विपक्षी संख्या 8 व 9 की जमीन

दक्षिण :–विपक्षी संख्या 2 से 7 तक की जमीनो की सीमाएं

प्रार्थी व विपक्षीगणो को मौके पर अपनी अपनी सीमाओ की जानकारी न होने तथा प्रार्थी व विपक्षीगणो को मौके पर अपनी अपनी सीमाओ की जानकारी न होने से पाली डोली को लेकर अक्सर फसल बोते काटते समय वाद विवाद होता रहता है तथा काफी परेशानियो का सामना प्रार्थी करता चला आ रहा है। इस पर प्रार्थी ने अभी एक माह पूर्व में भी विपक्षीगणो को सीमा चिन्ह की जानकारी कराने हेतु कहा तो भी विपक्षीगण नही माने व वाद विवाद करने लगे जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 22.12.2008 को नकल प्राप्त कर पत्थर गडडी का यह प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता हुई है ताकि व्यर्थ मे वाद विवाद न हो।

अतः वादी का वाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प बाघाना** में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणो को बाद समझाईश आपसी राजीनामे से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित आराजियात का दोनो पक्षो की उपस्थिति में पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क जमा करा उक्त विवादित भूमि की पत्थरगढी करा पालना से अवगत करावे। निर्णय आज दिनांक 22.06.2015 को बाघाना में लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम)
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner